

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल
(चालन प्रभाग)

क्र. /111/चालन/पविनि/2017

भोपाल, दिनांक /03/2017

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की विभिन्न इकाईयों में डिस्काउंट का उपयोग व्यवसाय वृद्धि के लिए किया जाता है। जिसकी प्रविष्टि RMS/POS पर की जा रही है परन्तु किन अधिकारियों के आदेश पर डिस्काउंट दिया गया इसकी प्रविष्टि RMS/POS में नहीं की जा रही है। इसी प्रकार ENT-KOT का लाभ किसको एवं किस अधिकारी के आदेश पर दिया गया इसका भी उल्लेख नहीं किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि RMS/POS सिस्टम के Remarks कॉलम में डिस्काउंट एवं ENT-KOT का लाभ किसको एवं किस अधिकारी के आदेश पर दिया गया, इसकी अनिवार्यतः प्रविष्टि की जावे। स्पष्ट प्रविष्टि के अभाव में निगम राजस्व में हानि की जिम्मेदारी संबंधित इकाई प्रभारी की होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

/

प्रबंध संचालक

क्र. ²³⁷⁰/111/चालन/पविनि/2017

भोपाल, दिनांक 09/03/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सहायक, अपर प्रबंध संचालक, निगम मुख्यालय भोपाल।
2. कार्यपालिक निदेशक (PPS/OVC), निगम मुख्यालय भोपाल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक,
5. समस्त इकाई प्रभारी,


प्रबंध संचालक